न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 31/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–मांगू आत्मज घीसा बलाई नि0 टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थी

बनाम

1–मांगू आत्मज दीपा बलाई निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

2–नाथू आत्मज भूरा बलाई निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

3–मांगू आत्मज घीसा कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 13.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/कोर्ट केम्प गलवा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम टोकरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजियात संख्या 335 रकबा 0.24 हे0, 524 रकबा 1.07 है0, 527 रकबा 0.10 है0, 532 रकबा 0.57 है0 595 रकबा 0.20 है0, 672 रकबा 0.08 है0 673 रकबा 0.08 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.34 है0 भूमि खाता संख्या 158 पर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मूश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त का लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने, मवेशी वगैरा चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या एक लगायत तीन प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ के पडौसी होने से उन्हें पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जबाव देते रहे हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 23.04.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। यह बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा –राजस्थान
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018
मुकदमा नम्बरः– 44/2018 प्रार्थनापत्र
मांगू पिता धीसा बनाम मांगु पिता दीपा वगै0

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 01 से तीन बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम टोकरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजियात संख्या 335 रकबा 0.24 हे0, 524 रकबा 1.07 है0, 527 रकबा 0.10 है0, 532 रकबा 0.57 है0 595 रकबा 0.20 है0, 672 रकबा 0.08 है0 673 रकबा 0.08 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.34 है0 भूमि खाता संख्या 158 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी न्ही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षर दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1100/– अक्षरे एक हजार सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावें। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा